भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा0सं0 रा0भा0 1(4)/2016–हिन्दी दिनांक : 06 जनवरी, 2017

कार्यवृत्त

विषयः– कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दिनांक 21.12.2016 को सम्पन्न हुई संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

अपर सचिव डेयर एवं सचिव भाकृअप की अध्यक्षता में **दिनांक 21.12.2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे समिति कक्ष संख्या –2 (कमरा न0 112), कृषि भवन नई दिल्ली** में डेयर सहित परिषद की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त सूचना, अनुपालन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। अनुरोध है कि इस पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें। ताकि समिति की अगली बैठक नियत समय पर बुलाई जा सके।

संलग्नः उपर्युक्त वर्णित।

सीमा चोपड़ा 6.1.17
(सीमा चोपड़ा)
निदेशक (राजभाषा)

वितरण :–

1. डेयर सहित भाकृअप की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. डेयर सहित भाकृअप तथा कृषि अनुसंधान भवन– I/II, पूसा के सभी अधिकारी/अनुभाग।
3. परिषद के अधीनस्थ सभी संस्थानों आदि के निदेशक।
4. उप–निदेशक (कार्या.) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए–149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली–110023 ।
5. उप–निदेशक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव (नराकास) आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली।
6. अवर सचिव (प्रशासन) डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक (राजभाषा) डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली।

दिनांक 21.12.2016 को डेयर सहित परिषद की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भा.कृ.अ.प. की अध्यक्षता में डेयर सहित परिषद की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 21.12.2016 को पूर्वाहन 11:00 बजे समिति कक्ष संख्या–2 (कमरा न0 112), कृषि भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में भाग लेने वालों की सूची अनुबंध में दी गई है।

बैठक में अध्यक्ष श्री छबिलेन्द्र राऊल, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव भा.कृ.अ.प. के स्वागत के पश्चात बैठक की कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

I स्थाई मदें

1. दिनांक 15.09.2016 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

2. राजभाषा विभाग को भेजी जाने वाली तिमाही रिपोर्ट को समय पर 'आन लाइन' प्रेषण हेतु शाखा अधिकारी अपने प्रभागों की तिमाही रिपोर्ट की जांच करने के बाद प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 दिन के अंदर निश्चित रूप से अपने प्रभाग की रिपोर्ट हिन्दी अनुभाग में भिजवाएं ताकि उसे समेकित कर राजभाषा विभाग को समय से भेजा जा सके। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आगामी तिमाही से आईसी अनुभागों सहित डेयर की समेकित रिपोर्ट भिजवाई जाए।

   कार्रवाई : सभी अधिकारी/अनुभाग

3. हिन्दी पत्राचार बढ़ाने हेतु सभी प्रभागों/अनुभागों द्वारा अपने–अपने स्तर पर भरसक प्रयास किए जाएं तथा 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ शत प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जाए और अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में ही दिए जाए इसके लिए परिषद की ओर से भेजे जाने वाले पत्रों पर आवरण पत्र हिन्दी में लगाकर प्रेषित किए जाएं।

   कार्रवाई : सभी अधिकारी एवं अनुभाग तथा उप सचिव (डेयर)

4. धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाए। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात निम्नलिखित हैं:–
   संकल्प, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें, सभी आदेश, अनुदेश, पत्र ज्ञापन, नोटिस, परिपत्र, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचनाएं और संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के सभी पटलों पर रखे जाने वाले सभी सरकारी दस्तावेज। यह निर्णय भी लिया गया कि धारा 3(3) तथा अन्य राजभाषा नियमों की जानकारी रोचक ढंग से देने और इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रश्नावली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए।

   कार्रवाई : सभी अधिकारी/अनुभाग/हिन्दी अनुभाग

5. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2016–17 पर बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई जिसमें निदेशक (रा.भा.) ने मुख्य–मुख्य बिन्दुओं के बारे में समिति के सभी सदस्यों को अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दिया कि सभी सदस्य अपने–अपने प्रभाग स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा हिन्दी पत्राचार, फाइलों पर हिन्दी टिप्पणियां आदि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार करें।

   कार्रवाई : सभी अधिकारी/अनुभाग

II **अस्थाई मदें**

6. सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने–अपने स्तर पर फाइलों में हिन्दी में अधिक से अधिक टिप्पणियां लिखें तथा पत्रों के प्रारूप स्वयं हिन्दी में तैयार करें और जहां कहीं कठिनाई हो तभी हिन्दी अनुभाग की सहायता ली जाए।

कार्रवाई : सभी अधिकारी/अनुभाग

7. संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशानुसार विज्ञापनों पर व्यय की जाने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से हिन्दी में जारी विज्ञापनों पर व्यय की जाए। इस वर्ष हिन्दी में विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि निर्धारित लक्ष्य के नजदीक है। इस पर और ध्यान देने की जरूरत है ताकि भविष्य में विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि लगभग बराबर–बराबर हो सके।

कार्रवाई : सभी संबंधित अधिकारी/अनुभाग

8. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2016–17 के वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी पुस्तकों की खरीद हेतु 50 प्रतिशत राशि खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस खर्च में हिन्दी ई–पुस्तकों, सीडी/डीवीडी, पैन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा हिन्दी की पुस्तकों और पत्रिकाओं की भी राजभाषा विभाग के आदेशानुसार खरीद की जाए।

कार्रवाई : पुस्तकालयाध्यक्ष

9. हिन्दी अनुभाग में खाली पड़े अनुवादकों के पदों को भरने के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने उप–सचिव (तकनीकी सेवा) को आदेश दिया कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और इसके लिए हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन नाबार्ड के हिन्दी अनुवादक और हिन्दी टाइपिस्ट को परिषद मुख्यालय में समाविष्ट करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई : उप सचिव (तकनीकी सेवा)

10. हिन्दी प्रभाग में विभिन्न प्रभागों से प्राप्त होने वाले अनुवाद कार्यों को समय पर निपटाने हेतु सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हिन्दी अनुभाग को भेजी जाने वाली सामग्री समय रहते भेजी जाए ताकि हिन्दी अनुभाग द्वारा उस पर समय से कार्रवाई की जाए। इस संबंध में सचिव, भा.कृ.अ.प. की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कार्रवाई : सभी संबंधित अधिकारी/अनुभाग

बैठक के अन्त में सचिव महोदय ने कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को वास्तविक रूप से बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने स्तर पर हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें।

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

******

अनुबंध

दिनांक 21.12.2016 को आयोजित संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेने वालों की सूची

कम संख्या	नाम	पदनाम
1.	श्री छबिलेन्द्र राउल	अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भाकृअप
2.	डा. सुधीर रायजादा	सहायक महानिदेशक (अंतःस्थलीय मात्स्यिकी)
3.	डा. संजीव सक्सेना	सहायक महानिदेशक (बौ.स.त.प्र.)
4.	डा. शिव प्रसाद किमोठी	सहायक महानिदेशक (तकनीकी समन्वय)
5.	डा. वेद प्रकाश चहल	सहायक महानिदेशक (कृषि प्रसार)
6.	डा. टी. जनकीराम	सहायक महानिदेशक (बागवानी)
7.	डा. मनोज कुमार त्रिपाठी	प्रधान वैज्ञानिक (पीआईएम)
8.	श्री जी.आर. देशबंधु	वरिष्ठ निदेशक (फसल विज्ञान)
9.	श्री सूजित कुमार मित्रा	निदेशक (कार्मिक)
10.	श्री कन्हैया चौधरी	निदेशक (कृषि विस्तार)
11.	श्रीमती नम्रता शर्मा	उप–सचिव (प्रशासन)
12.	श्री के.के. कुलश्रेष्ठ	उप–सचिव (जीएस)
13.	सुश्री सुनीता शर्मा	उप–सचिव (बागवानी)
14.	श्री प्रदीप कुमार बागे	उप–सचिव (एचआरएम)
15.	श्री पी.के. जैन	उप–सचिव (कार्मिक)
16.	श्रीमती कमला बिष्ट	उप–सचिव (कृषि अभियांत्रिकी)
17.	श्री ए.आर. सेनगुप्ता	उप–सचिव (डेयर)
18.	श्री संतोष कुमार सिंह	विधि सलाहकार
19.	श्री ओम प्रकाश नागर	उप निदेशक (वित्त)
20.	श्री तेजबीर सिंह	मुख्य तकनीकी अधिकारी (एनआरएम)
21.	डा. एच.एम. पटेरिया	मुख्य तकनीकी अधिकारी (एनआरएम)
22.	श्री विनोद टोप्पो	अवर सचिव (कृषि शिक्षा)
23.	श्री राजेश कुमार	अवर सचिव (स्थापना) डेयर
24.	डा. पूरन सिंह	सहायक निदेशक (रा.भा.) डेयर
25.	श्रीमती यशोदा नयाल	अनुभाग अधिकारी (पा.स.)
26.	श्रीमती सीमा चोपड़ा	निदेशक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव